


[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2013

का.आ. (अ) - केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उपधारा (1) और उपधारा (2) और व्यापार चिह्न (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 40) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 8 जुलाई, 2013 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2013 के सभी उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 8/29/2009- आई.पी.आर-IV (खण्ड)]



(डी.वी.प्रसाद)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार